राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः– एफ2(3)लागत / 1019 (i)/340 दिनांकः 07/9/12

–:: कार्यालय आदेश ::–

संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 216 दिनांक 16.8.2012 में लागत ''सिद्वान्त–2010'' के निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. **स्वःवित्त पोषित योजना एवं वाणिज्यिक सम्पत्ति में ब्याज दर लेने के सम्बन्ध में।**

संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 216.33 के निर्णय अनुसार स्वःवित्त पोषित योजना एवं वाणिज्यिक सम्पत्ति में ब्याज दरें 18 प्रतिशत निर्धारित की जाती हैं।

2. **स्वःवित्त पोषित योजना में भूमि एवं विकास दर लेने के सम्बन्ध में।**

संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 216.34 में स्वःवित्त पोषित योजना में आरक्षण पत्र जारी दिनांक के वर्ष की भूमि एवं विकास दर के सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत / 1019 / 547 दिनांक 25.01.2012 को कालातीत् स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

3. **आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत।**

संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 216.35 में पूर्व में बैठक संख्या 205.14 दिनांक 24.9.2008 में लिये गये निर्णय आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत करने पर पुर्नविचार पश्चात् ब्याज दर 09 प्रतिशत यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

4. **उपरिव्यय मद पर पुर्नविचार करने के सम्बन्ध में।**

संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 216.39 में उपरिव्यय 10 प्रतिशत पर पुर्नविचार पश्चात यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2– व॰निजी सहायक–सचिव / वि॰स॰ एवं मुख्य लेखाधिकारी / अति॰मु॰ अभियन्ता, प्रथम / द्वितीय / तृतीय / रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3– मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
4– समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... रा॰आ॰मण्डल, ...।
5– समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... रा॰ आ॰ मण्डल, ...।
6– लेखाधिकारी, रा॰ आ॰ मण्डल, वृत्त, ...।
7– रक्षित फाईल।

वित्तीय सलाहकार

216th Board Meeting Dated 16-8-2012